न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्याः—00368/2018/

1. पन्नालाल पुत्र अमरचंद बोकोलिया,
2. रामदेव पुत्र लालूराम बोकोलिया,
3. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गाप्रसाद बोकोलिया,
4. सोभागमल पुत्र दुर्गाप्रसाद बोकोलिया,
   समस्त निवासी रेगरान मौहल्ला, बड़ी बस्ती, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. चांदलमल पुत्र नारायण उदय, अध्यक्ष रेगरान पंचायत समिति, पुष्कर, जिला अजमेर, निवासी पशु चिकित्सालय के पीछे, रेगरान मौहल्ला, बड़ी बस्ती, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. प्यारेलाल पुत्र जयराम कुर्डिया, कोषाध्यक्ष रेगरान पंचायत समिति पुष्कर, जिला अजमेर, निवासी तीज बड़ी मौहल्ला, गंगामाई मंदिर के पीछे, बड़ी बस्ती पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2—ए सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थी ।
2. श्री बकुल कुमार, वकील अप्रार्थीगण ।

निर्णय

दिनांकः—4.12.2020

1. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
2. विद्वान वकील प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए दौराने बहस कथन किया कि अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के द्वारा रेगरान पंचायत समिति पुष्कर बनाम श्रीमती केली बाई व अन्य के प्रकरण संख्या 143/2013 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2013 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 443/2013 रेगरान पंचायत समिति बनाम श्रीमती केली बाई व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.11.2013 को ग्राम पुष्कर के विवादित आराजी खसरा नंबर 21 राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.1.2019 नियत की गई । आराजी खसरा नंबर 21 के वर्तमान खसरा नंबर 62 बने है जिसके राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदार आवेदनकर्ता एवं अपील संख्या 443/2013 में वर्णित रेस्पो0 संख्या 1 से 53 है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2013 की संपूर्ण जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 जो कि अपील संख्या

443/2013 में अपीलार्थी है को रही है । इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.11.2013 के प्रभावी रहते अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9.11.2018 को मदनलाल कहार पुत्र रतनलाल, निवासी पुष्कर को पुराने खसरा नंबर 21 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 62 की भूमि को दिनांक 2.11.2018 से 26.11.2018 के लिए ठेके पर दे दी है जिसने आराजी पर अस्थाई दुकाने लगा ली है, जो निश्चित रूप से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.11.2013 की अवमानना है । अप्रार्थीगण प्रभावशाली है, के द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की गरिमा को भंग कर अवमानना की गई है जो कि दण्डनीय अपराध है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.11.2013 की अवहेलना किये जाने के कृत्य के लिए अप्रार्थीगण को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जावे जथा आवेदनकर्ता को उचित हर्जाना राशि भी दिलवाई जावे ।

3. विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की किसी प्रकार से अवहेलना नहीं की है । प्रार्थीगण द्वारा जिस आदेश की अवहेलना हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस प्रकरण का न्यायालय हाजा द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है जिससे नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वतः ही सारहीन हो चुका है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे ।

4. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 443/2013 रेगरान पंचायत समिति, पुष्कर बनाम श्रीमती केली बाई व अन्य में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.11.2013 को ग्राम पुष्कर के विवादित आराजी खसरा नंबर 21 राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.1.2019 नियत की गई । उक्त आदेश की अप्रार्थीगण को जानकारी होने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9.11.2018 को मदनलाल कहार पुत्र रतनलाल, निवासी पुष्कर को पुराने खसरा नंबर 21 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 62 की भूमि को दिनांक 2.11.2018 से 26.11.2018 के लिए ठेके पर दे दी है जिसने आराजी पर अस्थाई दुकाने लगा ली है, जो निश्चित रूप से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.11.2013 की अवमानना है । अतः अप्रार्थीगण को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाकर प्रार्थीगण को हर्जाना राशि दिलवाई जावे।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के द्वारा रेगरान पंचायत समिति पुष्कर बनाम श्रीमती केली बाई व अन्य के प्रकरण संख्या 143/2013 में पारित आदेश दिनांक 4.10.2013 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 443/2013 रेगरान पंचायत समिति बनाम श्रीमती केली बाई व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.11.2013 को ग्राम पुष्कर के विवादित आराजी खसरा नंबर 21 राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.1.2019 नियत की गई । आराजी खसरा नंबर 21 के वर्तमान खसरा नंबर 62 बने है जिसके राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदार आवेदनकर्ता एवं अपील संख्या 443/2013 में वर्णित रेस्पो0 संख्या 1 से 53 है । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2013 की संपूर्ण जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 जो कि अपील संख्या 443/2013 में अपीलार्थी है, को रही है । इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 21 वर्तमान खसरा नंबर 62 वाके ग्राम पुष्कर को दिनांक 9.11.2018 को मदनलाल कहार पुत्र रतनलाल, निवासी पुष्कर को दिनांक 2.11.2018 से 26.11.2018 के लिए राशि 70,000/—रू0 में ठेके

पर दिया जाना पत्रावली पर उपलब्ध रेगरान पंचायत समिति, पुष्कर की रसीद संख्या 148 दिनांक 9.11.2018 से होती है । विवादित भूमि मदनलाल कहार को ठेके पर दिये जाने की दिनांक को न्यायालय हाजा द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 12.11.2013 को पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी थे इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12. 11.2013 की अवहेलना कारित विवादित आराजियात को श्री मदनलाल कहार को रूपये 70,000/– में ठेके पर दी है जिससे निश्चित रूप से अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है । प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से मानसिक पीड़ा होने का कथन किया गया है । हम न्यायहित में अप्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.11.2013 की अवमानना किये जाने के संबंध में हर्जाना राशि से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझते ताकि भविष्य में अन्य कोई पक्षकार न्यायालय के आदेशों की अवमानना कारित नहीं करे। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण से 2000/–रू0 हर्जाना राशि के रूप में प्रार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते है ।

6. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2–ए सपठित धारा 151 जा0दी0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.11.2013 की अवमानना किये जाने के कारण प्रार्थीगण को हुई मानसिक क्षति के रूप में 2000/–रू0 नकद प्रदान करे । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 4.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर